

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/पीजी/2018/ 1281

दिनांक 21/11/18

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

मेडिकल कॉलेज,

अजमेर/झालावाड़/कोटा/उदयपुर/जयपुर

विषय:- सेवारत कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सेवारत कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए किन्तु कुछ चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश आवेदनों में कमियाँ रही है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	मेडिकल कॉलेज का नाम	विभाग का नाम	पाई गई कमियाँ।
1.	डॉ० महेन्द्र सिंह	जयपुर	फॉरेन्सिक मेडिसिन	पीएल फार्म में अवधि सही नहीं है। अतः सही अवधि अंकित कर संशोधित पीएल फार्म प्रस्तुत करें
2.	डॉ० गुलाम रसूल	एमबीएस कोटा	एनाटोमी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
3.	डॉ० ऋषु गुप्ता	झालावाड़	मेडिसिन	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
4.	डॉ० रामबाबू सैनी	झालावाड़	मेडिसिन	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
5.	डॉ० रवि खिचड़	झालावाड़	पीएसएम	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
6.	डॉ० स्वाति	झालावाड़	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
7.	डॉ० मधु सैन	झालावाड़	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
8.	डॉ० प्रशांत बनीवाल	झालावाड़	मेडिसिन	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
9.	डॉ० बाबू लाल यादव	झालावाड़	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
10.	डॉ० नरेन्द्र कुमार शर्मा	झालावाड़	मेडिसिन	मूल बॉण्ड संलग्न नहीं है।
11.	डॉ० सीताराम माली	झालावाड़	मेडिसिन	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
12.	डॉ० विनोद कुमार	झालावाड़	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
13.	डॉ० हेमन्त कुमार बिन्दल	झालावाड़	पीएसएम	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
14.	डॉ० धनश्याम सिंह राठौर	झालावाड़	निश्चेतना	अवकाश आवेदन पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कारण से अवगत करावे
15.	डॉ० अरविन्द नागर	झालावाड़	पीएसएम	आवेदन पत्र देरी से भिजवाने के कारणों से अवगत करावे
16.	डॉ० पवन कुमार शर्मा	झालावाड़	माइक्रोबायोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
17.	डॉ० मन्ना लाल कुमावत	अजमेर	बायोकेमेस्ट्री	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
18.	डॉ० गोवर्धन लाल सैनी	अजमेर	मेडिसिन	पीएल फार्म में अवधि सही अंकित कर प्रस्तुत करें
19.	डॉ० चम्पालाल	उदयपुर	प्रसूति एवं स्त्री रोग	पीएल फार्म में अवधि संशोधित कर भिजवाये।
20.	डॉ० श्री राम	उदयपुर	गायनी	मूल पीएल फार्म भिजवाये
21.	डॉ० सुमन परमार	आरएनटी उदयपुर	ईएनटी	संशोधित पीएल फार्म में सही अवधि अंकित कर भिजवाये
22.	डॉ० शतेन्द्र कुमार गोयल	आरएनटी उदयपुर	बायोकेमेस्ट्री	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है।
23.	डॉ० सोहन लाल मेधवाल	उदयपुर	सर्जरी	पीएल फार्म संलग्न नहीं है। अवकाश आवेदन पत्र भिजवावे।
24.	डॉ० गोविन्द सिंह मीणा	आरएनटी उदयपुर	टीबी एवं चेस्ट	संशोधित पीएल फार्म प्रस्तुत करें

25	डॉ० रमित सिंह पाला	आरएनटी उदयपुर	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है ।
26	डॉ० गार्गी शर्मा	मेडिकल कॉलेज कोटा	एमडीएस	संशोधित पीएल फॉर्म प्रस्तुत करे एवं पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है ।

अतः उक्त चिकित्सकों से पीएल फॉर्म/बॉण्ड प्राप्त कर मूल ही निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें जिससे नियमानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/पीजी/2018/ 1281

दिनांक 22/11/18

प्रतिलिपि :- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।